(27)

मान्नीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/मुरैना/भू-रा/2017/2661

प्र0क0— 1960 निगरानी

1. प्रकाश पुत्र बाबू कुशवाह
2. शिशुपाल पुत्र बाबू कुशवाह
निवासी—ग्राम उरहाना तह व जिला मुरैना
बनाम
म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय, जिला—मुरैना म0प्र0

श्री ... द्वारा आज दि. 16.8.17 प्रस्तुत
16.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 म0प्र0ले.रिकोर्ड, सह-पठित धारा 50 म.प्र. रा.सं. 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1. यह कि, प्रार्थीगण के हित में शासकीय भूमि सर्वे कमॉक 1204 कुल रक्वा 3.77 हेक्टेयर स्थित ग्राम उरहाना तहसील व जिला मुरैना का विधि पूर्वक पट्टा/व्यवस्थापन न्यायालय अति तहसीलदार मुरैना द्वारा प्र.क.02/6.07/अ 19 में पारित आदेश दि 15.11.2006 द्वारा किया गया। तथा प्रश्नाधीत भूमि का पट्टा प्रार्थीगण को दिया गया।
2. यह कि, उक्त व्यवस्थापन आदेश का अमल राजस्व कागजात में किया गया तथा प्रार्थीगण को प्रश्नाधीन भूमि के बाबत् भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका शासन द्वारा प्रदान की गयी। कब्जा पूर्व से प्रार्थीगण के पास था, व्यवस्थापन आदेश से प्रार्थीगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हो गये।
3. यह कि धारा158(3) मध्य प्रदेश लेण्ड रिकोर्ड के अंतर्गत प्रार्थीगण प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन/पट्टा की तारीख से भूमि स्वामी हो गये।
4. यह कि देवेन्द्र सिंह पुत्र सोभरन सिंह निवासी—ग्राम मलखानपुरा, तहसील व जिला—मुरैना के द्वारा करीब 7 वर्ष बाद दि 4.12.2013 को न्यायालय एस डी ओ महोदय मुरैना के समक्ष अति तहसीलदार मुरैना के द्वारा प्र.क. 02/2006—07/अ—19 अंतर्गत में पारित आदेश दिनॉक 15.11.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की जो प्र0क019/13—14 अपील उनवान देवेन्द्र सिंह बनाम प्रकाश आदि पर कायम हुई, उक्त अपील का अंतिम निराकरण नही किया गया है जो वर्तमान में एस डी ओ मुरैना के समक्ष लम्बित अपील प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरण क 1201—I—16 में पारित आदेश दिनॉक 20.04.2016 को उक्त निगरानी जो कि नसीम बानो आदि विरूद्ध देवेन्द्र सिंह आदि लम्बित है उसमें तलब की गई जो वर्तमान में अपील प्रकरण दिनॉक 5.08.2016 को माननीय न्यायालय में प्राप्त हो चुका है।
5. यह कि एस डी ओ न्यायालय का रिकार्ड माननीय न्यायालय में दिनॉक 05.08.2016 को जब एस.डी.ओ. न्यायालय मुरैना से लम्बवित अपील का अभिलेख प्राप्त हो गया तो न्यायालय एस डी ओ मुरैना द्वारा नाराज होकर वगैर किसी किसी विधान का पालन किये हुये दिनॉक 05.05.2016 को एक प्रतिवेदन क 574/रि—1 जॉच प्रतिवेदन/2016 माननीय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला मुरैना को प्रेषित किया कि वर्ष 2006—2007 में तोफीक खान को व अन्य भूमि

...या उसा आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III/निगरानी/मुरैना भू–रा0/2017/2661

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–9–2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 10/15–16/स्व0निगरानी में तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया है। कलेक्टर ने प्रकरण में आवेदकों को सूचना जारी की है। प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अंतिम आदेश अथवा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे आवेदक का हित प्रभावित होता है। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है। आवेदक को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। आवेदक अभिभाषक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत कर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही को निरस्त कराना चाहते हैं। संहिता की धारा 8 का उपयोग सामान्यतः न करते हुये बहुत ही अनियमितता एवं अवैधानिकता के विरूद्ध की जाती है। कलेक्टर द्वारा अभी मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदको सूचना दी जाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। (एस0एस0 अली) सदस्य	